उत्तराखण्ड शाराम

वित्र (सार्वनिक-वेठआठ)अनुमाग-१ / XXVII(7)02/2018 संख्या-देहराइमः रिमांकः 21 गर्व. 2022

कार्यालय माप

विषयः राज्य सरकार के ऐशे सिविल/पारिवारिक पेतानर जिनकी पेंतन शातवें बेतन आयोग की संस्पुतियों के अम में पुनशिक्षण की गयी है. को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 /XXVII(7)02/2016 Dehradun: Dated May, 2022

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में गुझे यह कहने का Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates निदेस हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी w.c.f. 01-01-2022 @ 34% instead of 31 % पेंशन सातवें बेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में superseding the earlier rates as is sanctioned vide this पुनरीकित की गयी है को दित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप Office Memorandum No. 325/XXVII(7)02/2016 Descri संख्या-525 /XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 29 December, 2021 for those pensioners whose pension द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए is revised in accordance with the recommendation of the दिनांक 01-01-2022 से 31 प्रतिशत के त्यान पर 24 7th pay Commissions. प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्व स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- वह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, 2. किया जाना अपेकित होगा।
- ऐसे रीविक एवं शिवानेतार पैतानरी जिन्हें शासकीय पैतानरीं के at par with the pensioners of the State Government. समान पेशन/पारिवारिक पेशन अनुगन्य है, पर गी लागू
- dhi
- / ce/10(3)-e1, R-ties 21 #Am, 1982 4 And admissible under, this O.M. बादेशानुसार वैसन पर अतिरिक्त राउत बादि से गुगतानं से मिये महाजेखाकार से प्राधिकार पत्र सी जावश्यकता नहीं है। अव स्वीकृत महनाई राहत का मुनतान प्रका कार्गालय प्राप् 5 के अलीन कर दिया जाता

मंत्रमाई राहत स्वीकृत करने से राजन्य में अन्त अविका को इस सक्का में इससे पूर्व मिनंत सासनावेशों में मिर्वादित में, प्रचावत् लागू साँगे।

These orders will not be applicable to the उत्तराखण्ड लोक सेवा जायोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों judges of High Court, Chairman and Members of स्थानीय निकार्यो तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के Utarakhand Public Service Commission, Civil/Family सिनित / पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके Pensioners of local bodies and Public Undertaking सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

These orders will also be applicable to such 3. यह बादेश विद्यालयी रिजा / प्राविधिक रिज्ञा विभाग teaching and non-teaching pensioners of Institutions sided from State under the Education/Technical के Education Department whose Pension/Family Pension is

> As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief mere & method will efective -4-1-252 of pension and as such the payment, of dearness relief as

> > Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(सीजन्या) 11941

(Sowjanya) Socrotary.

No. FIN7-B/1/1/2022-XXVII-7-Finance Department (Computer No. 22807)

/XXVII(7)02/2016. तदिनांक। / XXVII(7)02/2016, the dated, प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही Copy forwarded to following for Information and necessary action. हेत् प्रेषित।

- 1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव. उत्तराखण्ड शासन।
- 3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग / शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यस / प्रमुख - कार्यालयाध्यस, उत्तराखण्ड ।
- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
- निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी. उत्तराखण्ड ।
- 9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर विल अनुगाय-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10. निदेशक, एन०आई०सी०, वेहरादून।

1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.

2-All Additional Chief Secretaryies/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.

- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Industry Public Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand .
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7. Govt. of Uttarakhand Please. 10- Director, NIC Dehradun.

आहा से.

Bigned by Ganga Presed Debar 23-05-2022 13:28:55

अपर सचिव।

By Order,

(Ganga Prasad) Additional Secretary.